

छत्तीसगढ़ शासन

वित्त विभाग

-- मंत्रालय --

महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

// कार्यालयीन आदेश //

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 01/04/2022

क्रमांक 757/F-2014-04-00769/ब-4/चार :- छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय में पदस्थ अधिकारियों की अवकाश अवधि में शासकीय कार्य को सुचारु रूप से संपादित किये जाने हेतु जारी समस्त लिंक अधिकारी संबंधित आदेश को अधिकमित करते हुए अधिकारियों के नाम के सम्मुख कॉलम क्रमांक 3 एवं 4 में अंकित अधिकारियों को लिंक अधिकारी नामांकित किया जाता है :-

क्र.	अधिकारी का नाम	प्रथम लिंक अधिकारी	प्रथम लिंक अधिकारी की अनुपस्थिति में द्वितीय लिंक अधिकारी
1	2	3	4
1	श्रीमती शारदा वर्मा	श्रीमती शीतल शाश्वत वर्मा	श्री अतीश पाण्डेय
2	श्रीमती शीतल शाश्वत वर्मा	श्रीमती शारदा वर्मा	श्री राजेश कुमार सिसोदिया
3	श्री अतीश पाण्डेय	श्री राजेश कुमार सिसोदिया	श्रीमती शारदा वर्मा
4	श्री राजेश कुमार सिसोदिया	श्री अतीश पाण्डेय	श्रीमती शीतल शाश्वत वर्मा
5	श्रीमती पूजा शुक्ला मिश्रा	श्रीमती प्रेमा गुलाब एक्का	श्री सीताराम तिवारी
6	श्रीमती प्रेमा गुलाब एक्का	श्रीमती पूजा शुक्ला मिश्रा	श्री ऋषभ पाराशर
7	श्री ऋषभ पाराशर	श्री सीताराम तिवारी	श्रीमती पूजा शुक्ला मिश्रा
8	श्री सीताराम तिवारी	श्री ऋषभ पाराशर	श्रीमती प्रेमा गुलाब एक्का
9	श्री इन्द्र प्रकाश रात्रे	श्री कृष्णकांत खरान्शु	श्रीमती शांता खरे
10	श्री शरद परसाई	श्री चन्द्र प्रकाश पाण्डेय	सुश्री हिमशिखा साहू
11	श्री कृष्णकांत खरान्शु	श्री इन्द्र प्रकाश रात्रे	श्री शरद परसाई
12	श्रीमती शांता खरे	सुश्री हिमशिखा साहू	श्री कृष्णकांत खरान्शु
13	श्री चन्द्र प्रकाश पाण्डेय	श्री शरद परसाई	श्री इन्द्र प्रकाश रात्रे
14	सुश्री हिमशिखा साहू	श्रीमती शांता खरे	श्री चन्द्र प्रकाश पाण्डेय
15	श्री निखिल कुमार अग्रवाल	श्री धर्मेन्द्र पटेल	श्री लोकेन्द्र कुमार साहू
16	श्री धर्मेन्द्र पटेल	श्री लोकेन्द्र कुमार साहू	श्री निखिल कुमार अग्रवाल
17	श्री लोकेन्द्र कुमार साहू	श्री निखिल कुमार अग्रवाल	श्री धर्मेन्द्र पटेल

2- वित्त विभाग में पदस्थ समस्त अधिकारी अवकाश में जाने के पूर्व अपने लिंक अधिकारियों से अनौपचारिक चर्चा कर सुनिश्चित करेंगे कि उनके अवकाश अवधि में प्रथम लिंक अधिकारी एवं द्वितीय लिंक अधिकारी अवकाश में तो नहीं है अथवा जा रहे हैं।

3- उक्त लिंक अधिकारी, संबंधित अधिकारी के अवकाश/भ्रमण की अवधि में नस्तियों का निराकरण करेंगे तथा संबंधित अधिकारी अवकाश पर जाते समय अपने लिंक अधिकारी को कार्यो/नस्तियों के बारे में आवश्यक जानकारी देने के पश्चात् ही मुख्यालय से प्रस्थान करेंगे।

निरंतर..2/

//2//

4- उक्त आदेश किसी भी अधिकारी के अन्यत्र स्थानांतरण के फलस्वरूप उनके स्थान पर नवीन पदस्थापना तक अथवा आगामी आदेश तक जो भी पहले हो प्रभावशील होगा।

(सचिव, वित्त द्वारा अनुमोदित)

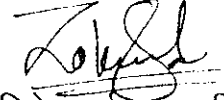


विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
वित्त विभाग

पृ.क्रमांक 760/F-2014-04-00769/ब-4/चार,
प्रतिलिपि :-

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 01/04/2022

1. सचिव, वित्त के निज सहायक, मंत्रालय
2. विशेष सचिव, वित्त के निज सहायक, मंत्रालय
3. संचालक, बजट/संयुक्त सचिव/उप सचिव, वित्त के निज सहायक, मंत्रालय,
4. अवर सचिव/शोध अधिकारी/विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, वित्त विभाग, मंत्रालय,
5. समस्त अनुभाग अधिकारी/सहायक सांख्यिकीय अधिकारी/सहायक लेखा अधिकारी, वित्त विभाग, मंत्रालय,
----- की ओर सूचनार्थ।



विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
वित्त विभाग